भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3656

13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष अवसंरचना के लिए बजटीय आवंटन और विस्तार

3656. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, विशेष रूप से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम), आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (ए-एचडब्ल्यूसी) और औषधीय पादप संवर्धन संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष-वार और योजना-वार कुल बजट आवंटन और वास्तविक व्यय पृथक-पृथक रूप में कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पूरे ओडिशा और कंधमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत और चल रहे आयुष अस्पतालों, औषधालयों, एकीकृत आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों और औषधीय पादप संकुलों और उनमें उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का पारंपरिक ज्ञान, ग्रामीण आजीविका और समग्र स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए कंधमाल जैसे जनजातीय और वन संपदा समृद्ध जिलों में आयुष कॉलेज, अनुसंधान केन्द्र या औषधीय पादप प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा औषधीय पौधों की खेती, मूल्यवर्धन और विपणन के लिए ओडिशा में किसानों, स्व-सहायता समूहों और उद्यमियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत, विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (ए-एचडब्ल्यूसी) जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) [एएएम (आयुष)] के रूप में जाना जाता है, सहित विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के अनुसार कुल 2551.36 करोड़ रुपये आवंटित/जारी किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने अब तक 2328.54 करोड़ रुपये का व्यय किया है। इसके अलावा, एनएएम के तहत, औषधीय पादप संवर्धन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ख): ओडिशा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उक्त अवधि के दौरान कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित ओडिशा में 09 आयुष अस्पतालों, 709 सरकारी आयुष औषधालयों, 422 एएएम (आयुष) को स्वीकृत और कार्यशील किया गया है।

(ग): सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, पारंपरिक ज्ञान, ग्रामीण आजीविका और समग्र स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए कन्धमाल जैसे जनजातीय और वन-समृद्ध जिलों में आयुष मेडिकल कॉलेज, अनुसंधान केंद्र या औषधीय पादप-प्रसंस्करण क्लस्टर की स्थापना संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है। हालांकि, एनएएम के तहत, आयुष शिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रावधान है और तदनुसार, राज्य सरकार एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके इसके लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा, एनएएम के तहत, अनुसंधान केंद्र या औषधीय पादप प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का समर्थन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ): आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) पूरे देश में "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन" पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत एक घटक नामतः "औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रगामी और पश्चगामी लिंकेज (एकीकृत घटक)" को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियों का समर्थन किया जा रहा है:

1. औषधीय पादपों की खेती के लिए किसानों को वितरण हेतु रोपण सामग्री उगाने के लिए गुणवत्ता रोपण सामग्री संबंधी अवसंरचना।
2. किसानों को जागरूक करने के लिए सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) गतिविधियाँ।
3. औषधीय पादप की विपणन क्षमता बढ़ाने, उपज में मूल्यवर्धन करने, लाभप्रदता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन संबंधी अवसरंचना।
4. कच्चे माल की गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन।
